राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / माद / पार्ट–I / 10 जयपुर, दिनांक :

11 APR 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत गावों के ढांचागत विकास के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से गांवों के ढांचागत विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो सकता है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में ग्राम सभा को विस्तृत शक्तियां प्रदान की है। योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का चयन, उनकी प्राथमिकता, कार्यों की मॉनिटरिंग, सामाजिक अंकेक्षण आदि कार्य कराये जाने का अधिकार ग्राम सभा को अर्थात आम नागरिक को दिया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित राजस्थान रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में इस संबन्ध में चर्चा होने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि गांवों के ढांचागत विकास एवं सभी लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने हेतु गांव के विकास की कार्य योजना ग्राम स्तरीय सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं जागरूक नागरिकों के सहयोग से तैयार करवाकर उसे ग्राम सभा में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जावें ताकि महात्मा गांधी नरेगा से गांवों का नक्शा बदलता हुआ नजर आवें।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय
8/4/11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग / सिंचित क्षेत्र विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी।
6. निजी सचिव, सचिव मुख्यमंत्री जी।
7. संभागीय आयुक्त, समस्त।
8. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक, जयपुर / जोधपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस